

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

इंडियन ऑयल भवन

65/2, संजय प्लेस, आगरा - 282 002 (उ.प्र.)

फोन: 2523710, फैक्स: 0562-2525520

Indian Oil Corporation Limited

Indian Oil Bhawan

65/2, Sanjay Place, AGRA - 282 002 (U.P.)

Ph.: 2523710, Fax : 0562-2525520



मार्केटिंग डिविजन
Marketing Division

विषय: जनपद मथुरा एवं तहसील छाता में कोसी-नन्दगांव-बरसाना-गोवर्धन मार्ग (ODR-143) के कि.मी. चैनेज 02.140 पर मार्ग की बांधी पटरी पर ग्राम-बरहना के खसरा सं0-617 में इन्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 65/2, संजय प्लेस, आगरा द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउट लेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.0522528 है। संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी उपयोग सम्बन्धी प्रस्ताव।

(वन अनुभाग, उ0 प्र0 शासन के पत्रांक 7314/14-3-1980/82 dt.31.12.85 द्वारा निर्धारित मानक शर्तें)

- 1- भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भौति रक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
- 2- प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा, अन्य प्रयोजन हेतु कदाचित नहीं।
- 3- याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
- 4- भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाये कि मांगी गयी भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
- 5- हस्तान्तरी विभाग, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।
- 6- भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख-रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
- 7- हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरी विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 8- बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथा सम्बव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ण एवं व्यय जन्तुओं के स्वच्छ विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
- 9- सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों/पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
- 10- याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवधकता याचक विभाग को न रहने

Hasheem 13/1/19

मो. एहतशाम जुबेरी / Mohd. Ehtasham Zubari
मुख्य प्रबंधक (रिटेल सेल्स) / Chief Manager (Retail Sales)

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. (वि. प्र.)

Indian Oil Corporation Ltd. (M. D.)

आगरा मण्डल कार्यालय / Agra Divisional Office

इंडियन ऑयल घरन / Indian Oil House

Regd. Office : G-9, Ali Yavar Jang Marg, Bandra East, Mumbai - 400 051

65/2, Sanjay Place, Agra - 282002 (यू.पी.)

65/2, Sanjay Place, Agra - 282002 (U.P.)

रजिस्टर्ड ऑफिस : जी-9, अली यावर जंग मार्ग, बान्द्रा ईस्ट, मुंबई - 400 051
Regd. Office : G-9, Ali Yavar Jang Marg, Bandra East, Mumbai - 400 051

पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि (Automatic) स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जायेगा।

- 11- सड़क निर्माण में प्रस्तावों पर "एलाइनमेंट" तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श "उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग" द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, "उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग" के अतिरिक्त मुख्या अभियंता, पर्वतीय क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608/सी दिनांक 10.2.82 में निहित आदेशों का पालन भी "उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग" द्वारा किया जायेगा कि अश्व मार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का मामूली फेर बदलकर पक्का करना होगा, बशर्ते ऐसा करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
- 12- वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र के आधार पर आकलित होगा, जो याचक विभाग को मान्य होगा।
- 13- वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वन निगम अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उनका पातन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।
- 14- हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिशोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किये जाये, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30 से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन निषिद्ध है। इसी प्रकार बांज के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों का पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।
- 15- वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाइन ले जाने में यथा सम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्मों को ऊँचा करे उसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का भी कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी। जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।
- 16- यदि नहर आदि निर्माण में भू-रक्षण की सम्भावना होती है, और नहर की दोनों पटरियों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है, तो ऐसा याचक अपने व्यय से स्वयं करायेगा।
- 17- उपरिलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार द्वारा अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगायी जाती हैं तो वे याचक विभाग को मान्य होंगी।
- 18- वन विभाग का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाये, जब उक्त शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाये अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जायें।
मैं इन्हियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिंग का प्रतिनिधि यह प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सभी शर्तें मान्य छे तथा उनका अनुपालन किया जायेगा।

Mohd. Ehtasham Zuberi
मो. एहतशाम जुबेरी / Mohd. Ehtasham Zuberi
भूमि प्रबंधक (रिटेल सेल) / Chief Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिं. (वि. ल.)
Indian Oil Corporation Ltd. (M. D.)
आग्रा विभाग कार्यालय / Agra Divisional Office
इंडियन ऑयल घरन / Indian Oil House
65/2, संजय प्लॉस, आग्रा - 282002 (पु.पी.)
65/2, Sanjay Place, Agra - 282002 (U.P.)